

22.06.2023.

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,

Dayanand Public School, Shimla-3

खण्ड Shimla-03 जिला शिमला हि०प्र०।

विषय :-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 9 के उपनियम (5) के अधीन विधालय की मान्यता के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषय पर आपकी पाठशाला के पत्र: संख्या— शू. दिनांक 04-04-2022 आवेदन और विधालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार के प्रतिनिर्देश से, मैं Dayanand Public School, Shimla-3 जिला शिमला हिमाचल प्रदेश को 1-03-2022 से 28-02-2027 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं तथा हर वर्ष हेतू को सं 019 के अनुसार कार्यावाही करे।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैः—

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 से आगे विधालय की मान्यता या सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है।
2. विधालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011(उपाबन्ध-2) के उपाबन्धों का पालन करेगा।
3. सोसाइटी/ विधालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगी/ करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगी/ करेगा।
4. विधालय किसी बालक को निम्नलिखित के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा—
 - (1) आयु का स्वतंत्र न होना ।
 - (11) यदि ऐसा प्रवेश, प्रदेश के लिए 90 दिन की विस्तारित अवधि के पश्चात् चाहा गया हो, और
 - (111) धर्म , जाति या वंश , जन्म के स्थान या इनमें से किसी के आधार पर।
5. विधालय यह सुनिश्चित करेगा कि —
 - (1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विधालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नंहीं किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नंहीं किया जायेगा।
 - (11) किसी भी बालक को न तो शारीरिक दण्ड दिया जायेगा या ना ही उसका मानसिक उत्पीड़न किया जायेगा।
 - (111) प्रारम्भिक शिक्षा के पूर्ण होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नंहीं की जायेगा।
- (iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को हिमाचल प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 19 के अधीन यथा अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- (v) निःशक्तता ग्रस्त विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।
- (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अहर्ताओं के साथ की जाती है और विद्यामान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, न्यूनतम अहर्ताएं नहीं हैं, मार्च 2015 तक ऐसी न्यूनतम अहर्ताएं अर्जित करेंगे।
- (vii) अध्यापक/अध्यापिका अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्य का पालन करेगा/करेगी और

6. विधालय, धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।
7. विधालय अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट, विधालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में छात्रों का नामांकन करेगा ।
8. विधालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा अन्नितम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :-
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 0.52 Acres (2104.36 Sq. M.)
कुल निर्मित क्षेत्र, :- 2652.22 Sq. M.
कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल , :-
कक्षा के कमरों की संख्या, :- 41

मुख्याध्यापक एवं कार्यालय एवं भण्डार कक्ष के लिए कमरा, बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, पेयजल सुविधा, मिड -डे -मिल पकाने हेतु रसोई अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेल-कूद उपस्कर्तों / पुस्तकालय की उपलब्धता बाधा रहित पहुंच,

9. विधालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर, विधालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी ।
10. विधालय भवनों या अन्य अवंसरचनाओं या कीड़ा स्थलों का, विधालयों के किसी कर्मचारी के निवास के प्रयोजन के सिवाएँ, दिन या रात्रि के दौरान वाणिज्यक या आवासीय प्रयोजनों के लिए या किसी भी प्रकार की राजनीतिक या गैर-शैक्षणिक कियाकलापों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा ।
11. विधालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाएगा ।
12. विधालय को किसी व्यष्टि या व्यष्टियों के समूह संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाएगा ।
13. विधालय के लेखाओं की, किसी चार्टड एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जाएगी और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा तथा उद्यित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा ।
14. प्रत्येक वर्ष लेखा विवरण की एक प्रति उप निदेशक/खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी ।
15. आपर्क विधालय को आंबटिट मान्यता कोड संख्याक **000118** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें ।
16. विधालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर निदेशक, शिक्षा/उपनिदेशक/खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और वह राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं ।
17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाएगा ।
18. राज्य सरकार अनुपालना के लिए समय-समय पर अतिरिक्त भत्ते विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।
19. शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-2 (एन 0) उपखण्ड (11) तथा (4) में निर्दिष्ट सभी बैधानिक रूप से कार्यरत स्कूलों के प्रबन्धक हर वर्ष शैक्षणिक सत्र आरंभ होने से कम से कम 15 दिन पहले निर्धारित प्रपत्र पर अपना स्व-धोषणा पत्र (प्रपत्र में ही हर स्थिति से अवगत करवाया जाए) प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे 1 मान्यता के नवीनीकरण हेतु पांच सौ रुपये का शुल्क प्रति वर्ष देय होगा ।

पृष्ठांकन
प्रतिलिपि :-

संख्या दिनांक शिमला-171004 22.06.2023.

1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश शिमला -1 को सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी Shimla-03 को सूचनार्थ प्रेषित है ।
3. रक्षक नस्ति ।

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
शिमला-4, जिला शिमला ।

५५/११-६